Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 40–2022/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, MARCH 5, 2022 (PHALGUNA 14, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 5th March, 2022

No. 08-HLA of 2022/18/4504.— The Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :–

Bill No. 8-HLA of 2022

THE HARYANA CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2022

A

BILL

further to amend the Haryana Co-operative Societies Act, 1984.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-third Year of the Republic of India as follows:–

1. This Act may be called the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Act, 2022. Short title.

2. After section 54 of the Haryana Co-operative Societies Act, 1984, the following section shall be inserted, namely:– Insertion of section 54A in Haryana Act 22 of 1984.

"54A. Registration of certain documents.– (1) Any member of the Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Bank or legal heirs in case of death of such member, who purports to purchase or transfer by way of sale, lease or gift, any immovable property, shall make an application through the electronic mode to the concerned Bank for obtaining No Objection Certificate in such manner, as may be prescribed. The concerned Bank, after verifying the record, if satisfied, shall issue No Objection Certificate within a period of three working days, after following such procedure, as may be prescribed. The concerned Bank shall also forward No Objection Certificate through electronic mode to the concerned registering officer appointed under the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908).

(2) The registering officer, before such registration shall ensure that No Objection Certificate through electronic mode has been duly received and in the absence of such certificate or any communication in this regard, shall not register any purchase or transfer by way of sale, lease or gift:

Provided that the concerned Bank after the receipt of the application for grant of No Objection Certificate shall either issue No Objection Certificate or reject the application, as the case may be, within a period of three working days and communicate the same to the concerned registering officer. If no communication to this effect is made within the specified period then No Objection Certificate shall be deemed to have been issued.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The objects of the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill, 2022 is to amend the provision of the Haryana Co-operative Societies Act, 1984 for incorporation and regulation of Co-operative Societies based on the principles of democratic member control, members economic participation and autonomous functioning.

The reasons of the proposed amendment is to inculcate habit of repaying loan installments in time and to avoid habit of willful defaulters among the members of District Primary Co-operative Agriculture & Rural Development Banks in the state of Haryana.

DR. BANWARI LAL,
Co–Operation Minister.

_____

Chandigarh:
The 5th March, 2022.

R. K. NANDAL,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2022 का विधेयक संख्या 8 एच.एल.ए.

हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2022

हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम,1984, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2022, कहा जा सकता है।

1984 के हरियाणा अधिनियम 22 में धारा 54क का रखा जाना।

2. हरियाणा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 की धारा 54 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :–

''54क. कतिपय दस्तावेजों का पंजीकरण.–(1) प्राथमिक सहकारी कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का कोई सदस्य या ऐसे सदस्य की मृत्यु की दशा में विधिक वारिस, जो किसी अचल सम्पत्ति के क्रय या विक्रय, पट्टे या उपहार के माध्यम से अन्तरण हेतु तात्पर्यित है, तो वह ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए इलैक्ट्रोनिक ढंग के द्वारा सम्बद्ध बैंक को आवेदन करेगा। सम्बद्ध बैंक, अभिलेख के सत्यापन के बाद, यदि संतुष्ट है, तो ऐसी प्रक्रिया, जो विहित की जाए, अपनाने के बाद, तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करेगा। सम्बद्ध बैंक, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16) के अधीन नियुक्त किए गए सम्बद्ध पंजीकरण अधिकारी को भी इलैक्ट्रोनिक ढंग के द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र भेजेगा।

(2) ऐसे पंजीकरण से पूर्व, पंजीकरण अधिकारी सुनिश्चित करेगा कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र सम्यक् रूप से इलैक्ट्रोनिक ढंग के द्वारा प्राप्त हुआ है तथा ऐसे प्रमाण–पत्र या इस संबंध में किसी संसूचना के अभाव में, किसी क्रय या विक्रय, पट्टे या उपहार के माध्यम से अन्तरण को पंजीकृत नहीं करेगा :

परन्तु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन की प्राप्ति के बाद, सम्बद्ध बैंक तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर या तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करेगा या आवेदन रद्द करेगा, जैसी भी स्थिति हो, और उसे सम्बद्ध पंजीकरण अधिकारी को संसूचित करेगा। यदि इस प्रभाव की कोई भी संसूचना विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं की जाती है, तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया गया समझा जाएगा।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

हरियाणा सहकारी समितियां अधिनियम, 1984 के प्रावधान के तहत हरियाणा सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, 2022 में संशोधन करने का उद्देश्य लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य की आर्थिक भागीदारी तथा स्वायत कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर सहकारी समितियों के समावेश और विनियमन के लिए संशोधन करना है।

प्रस्तावित संशोधन का कारण, हरियाणा राज्य में जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के सदस्यों में समय पर ऋण कि तों को चुकाने की आदत बनाने और स्वेच्छा से अतिदेयी ऋणी बनने की आदत से बचने बारे।

डॉ० बनवारी लाल,
सहकारिता मंत्री।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 5 मार्च, 2022.

आर० के० नांदल,
सचिव।

9513—H.V.S.—H.G.P. Pkl.